राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2033/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–III, वृत–बी, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पूजा फ्लोर एण्ड फर्निशिंग प्रा.लि.,
कृष्णा स्कवायर, शास्त्री नगर, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री पंकज घीया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 193/अपील्स–III/11–12 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत बी, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 4,812/– एवं शास्ति राशि रूपये 28,872/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत बी, जयपुर (जिसे आगे **"जॉच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 28.09.2011 को वाहन संख्या आरजे–14–जीए–8325 को रोक कर चैक किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा NEES जयपुर को जारी है, चालान प्रस्तुत किये। प्रथम दृष्टया दस्तावेज संदेहास्पद होने से जॉच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को निरूद्ध किया जाकर माल के सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2) के तहत् नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर माल के समर्थन में बिल क्रमांक पी एफ एफ/11–12/542 दिनांक 28.09.2011 पेश किया, जो प्रत्यर्थी को जारी है, एवं माल की डिलीवरी रामबाग सर्किल पर दिया जाना दिखाया गया है। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर जांच अधिकारी ने पत्रावली सशक्त अधिकारी को निर्णय हेतु स्थानान्तरित कर दी। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त

लगातार.....2

अवसर प्रदान किया जाकर, अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कर राशि रूपये 4,812/– एवं शास्ति राशि रूपये 28,872/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से परिवहनित माल के साथ चालान संख्या 1715 दिनांक 28.09.2011 संलग्न था तथा प्रार्थना पत्र के साथ इनवाईस संख्या पी एफ एफ/11–12/542 दिनांक 28.09.2011 पेश किया। यह दस्तावेजात, दोनों चालान एवं इनवाईस एक ही दिनांक के जारी किये गये हैं, जबकि जांच के समय दोनों दस्तावेज एक साथ होने चाहिए थे। परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी की पश्चात्वर्ती सोच के अनुसार इनवाईस संख्या पी एफ एफ/11–12/542 दिनांक 28.09.2011 बाद में तैयार की गई है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि जांच अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग के चालान मौजूद था, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ बिल भी प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से परिवहनित माल के साथ चालान संख्या 1715 दिनांक 28.09.2011 संलग्न था तथा प्रार्थना पत्र के साथ इनवाईस संख्या पी एफ एफ/11–12/542 दिनांक 28.09.2011 पेश किया। चूंकि ये दस्तावेज चालान एवं इनवाईस एक ही दिनांक के जारी किये गये हैं, जबकि जांच के समय दोनों दस्तावेज एक साथ होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे, जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण कर दिया। अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय वाहन चालक/माल

लगातार.....3

प्रभारी ने चालान संख्या 1715 दिनांक 28.09.2011 प्रस्तुत किया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त माल का परिवहन जयपुर शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा था, और उसके लिए माल के साथ चालान संख्या 1715 दिनांक 28.09.2011 संलग्न था, जिसमें माल के क्रेता, विक्रेता, टिन संख्या, माल की मात्रा से संबंधित समस्त तथ्य मौजूद थे, जिन्हें जांचकर सशक्त अधिकारी ने मिथ्या या बोगस प्रमाणित नहीं किया। उसी दिन वाहन रोकने के पश्चात् वाहन चालक/माल प्रभारी माल का नियमित बिल संख्या पी एफ एफ/11–12/542 दिनांक 28.09.2011 प्रस्तुत कर दिया था, इसलिए इस प्रकरण में कोई करापवंचना की मंशा प्रमाणित नहीं होती है। मात्र संदेह के आधार पर किया गया करारोपण अविधिक होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित कर एवं शास्ति को उचित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विस्तृत है, और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 16.04.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य